हनुमान पातारान	13.6.25 आज यह पत्रावली पेश हुयी। पक्षकार उप.। पक्षकारों के पक्षकारान उपस्थित है। प्रस्तुत राजीनामा पर बहुलान को तस्दीक किया गया। हमेन पत्रावली का अवलोकन किया गया। हम प्रस्तुत राजीनामा अध्ययन किया गया। हम राजीनामा के आधार पर वाद पत्र को डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल हुक्म बाद पूर्ति होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)
	10.6.25 आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा. दी. पर तलब कर पेश की जाती गई। प्रार्थी स्वयं उप. है। हमने प्रार्थी को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वकील का नाम निर्णय के गलत अंकित किया है। प्रतिवादी गण के वकील का नाम [illegible] और निर्णय की कुछ शब्द अंकित किए और। निर्णय की लाईन न. 5 में ख. न. 834 के स्थान 1884, लाईन न 10 में 1955 के जगह 1855 लो. न. 12 में 1860 के स्थान पर 1869 निर्णय के पृष्ठ न 2 ला. न. 8 में 1592 के स्थान पर 1692, लाईन न. 12 में 1811 के स्थान पर 1811 अंकित किया जावे। लाईन 33 के पृष्ठ न. 3 के स्थान व 3 को हटाया जावे। हमेन पत्रावली में निर्णय का मिलान किया। प्रा. पत्र में अंकित गलती सहवन से टंकण से हुयी है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार कर उपरोक्त शुद्धिपत्र निर्णय के किया जावे। प्रा. पत्र निर्णय के संलग्न रहे। पत्रावली पूर्व अनुसार शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)